कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/आब/ठेका/2017/3091 इन्दौर, दिनांक 18/03/17

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017–18 अर्थात 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये इन्दौर जिले की वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण, लॉटरी एवं 'ई–टेण्डर' के माध्यम से प्रथम चरण दिनांक 23.02.2017 एवं द्वितीय चरण दिनांक 07.03.2017 तथा तृतीय चरण दिनांक 16.03.2017 से शेष रहे 07 मदिरा एकल समूहों (12 देशी मदिरा एवं 09 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों) का निष्पादन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 7–ठेका/2017–18/27 केम्प, भोपाल दिनांक 18.01.2017 में अधिसूचित प्रक्रिया एवं शर्तों के अध्यधीन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक आब./ठेका/2017–18/143 दिनांक 17.03.2017 में दिये गये निर्देशो के पालन में ई–टेण्डर आमंत्रित कर जिला कलेक्टर इन्दौर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा दिनांक 22 मार्च 2017 को सायं 04:30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष इंदौर में किया जावेगा।

ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :–

1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 18 मार्च 2017 को प्रातः 11:00 बजे से 22 मार्च 2017 दोपहर 01:00 बजे तक।
2.	ऑन–लाईन ई–टेण्डर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 22 मार्च 2017 दोपहर 03:30 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 22 मार्च 2017 को सायं 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर प्रपत्र का मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा वांछित अभिलेख/संलग्नकों सहित ई–टेण्डर जमा (अपलोड) करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पोर्टल www.mpeproc.gov.in से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर, कक्ष क्रमांक 209, प्रशासनिक संकुल, इंदौर से (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। ई–टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की शर्तों एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017 को वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई–टेण्डर द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु टेण्डरदाता द्वारा प्रस्तुत ई–टेण्डर ऑफर के साथ देय धरोहर राशि सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर की स्कैन्ड कॉपी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पोर्टल **www.mpeproc.gov.in** पर अनिवार्यतः अपलोड करना अथवा देय धरोहर राशि ऑन लाईन जमा करना होगी। यदि ऑनलाईन का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाय तो यह भुगतान टेण्डर सबमिट करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से 48 घंटे पूर्व कर लेना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक एकल समूह में भागीदारी के लिए पृथक–पृथक निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करना होगी।

निरंतर–2

ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने वाले 07 मदिरा एकल समूहों (12 देशी मदिरा एवं 09 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों) की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	ई–टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम–7 का 50 प्रतिशत)	मदिरा दुकान का स्थान (LOCATION) (राजभोगी नगर निगम अथवा अन्य नगर निगम/नगर पालिका अथवा नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	IND/F-2 एम.आई.जी.	(क) एम.आई.जी.	विदेशी मदिरा	ऑन	146620455	7331023	3665511	राजभोगी नगर निगम
		(ख) खजरानी	देशी मदिरा	ऑन	98985005	4949250	2474625	राजभोगी नगर निगम
					245605460	**12280273**	**6140137**	
2	IND/F-11 जी.पी.ओ. चौराहा	(क) जी.पी.ओ. चौराहा	विदेशी मदिरा	ऑन	64693995	3234700	1617350	राजभोगी नगर निगम
		(ख) छावनी	विदेशी मदिरा	ऑन	55968462	2798423	1399212	राजभोगी नगर निगम
		(ग) संयोगितागंज	देशी मदिरा	ऑन	38831043	1941552	970776	राजभोगी नगर निगम
					159493500	**7974675**	**3987338**	
3	IND/C-8 मांगलिया	(क) मांगलिया	देशी मदिरा	ऑन	37476888	1873844	936922	ग्रामीण
		(ख) मांगलिया	विदेशी मदिरा	ऑफ	44547560	2227378	1113689	ग्रामीण
		(ग) तोड़ी	देशी मदिरा	ऑन	4288514	214426	107213	ग्रामीण
					86312962	**4315648**	**2157824**	
4	IND/C-5 सांवेर	(क) सांवेर	देशी मदिरा	ऑन	33066528	1653326	826663	नगर पंचायत
		(ख) सांवेर	विदेशी मदिरा	ऑफ	35150696	1757535	878767	नगर पंचायत
		(घ) सिमरोल (सांवेर)	देशी मदिरा	ऑन	4641663	232083	116042	ग्रामीण
					72858887	**3642944**	**1821472**	
5	IND/C-11 क्षिप्रा (पीरकराड़िया का परिवर्तित नाम)	(क) क्षिप्रा (पीरकराड़िया का परिवर्तित नाम)	देशी मदिरा	ऑन	25970835	1298542	649271	ग्रामीण
		(ख) क्षिप्रा (डकाच्या का परिवर्तित नाम)	विदेशी मदिरा	ऑफ	23111583	1155579	577790	ग्रामीण
		(ग) लसूड़िया परमार	देशी मदिरा	ऑन	16235574	811779	405889	ग्रामीण
					65317992	**3265900**	**1632950**	
6	IND/F-32 गवली पलासिया	(क) गवली पलासिया	विदेशी मदिरा	ऑफ	26623773	1331189	665594	ग्रामीण
		(ख) गायकवाड	देशी मदिरा	ऑन	21483258	1074163	537081	ग्रामीण
		(ग) जामली (भिचोली का परिवर्तित नाम)	देशी मदिरा	ऑन	9800261	490013	245007	ग्रामीण
		(घ) फफूंद	विदेशी मदिरा	ऑफ	6748263	337413	168707	ग्रामीण
					64655555	**3232778**	**1616389**	
7	IND/C-10 तिल्लौरखुर्द	(क) तिल्लौरखुर्द	देशी मदिरा	ऑन	22556136	1127807	563903	ग्रामीण
		(ख) कम्पैल	विदेशी मदिरा	ऑफ	22536035	1126802	563401	ग्रामीण
		(ग) शिवनी	देशी मदिरा	ऑन	9394845	469742	234871	ग्रामीण
					54487016	**2724351**	**1362175**	
	महायोग :–				**748731372**	**37436569**	**18718284**	

नोट :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164–12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एव राज्य राजमार्ग पर मदिरा की दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुक्रम मे दिनांक 01.04.2017 से ये पालन किया जाना है कि :–

1. मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी।
2. मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगी।
3. मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साइन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर प्रतिबंधित रहेगा।

निरंतर–3

4. मदिरा की कोई दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचने के योग्य (Directly accessible) नहीं होगी।

सहायक आयुक्त आबकारी
वास्ते कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रमांक/आब./ठेका/2017/3092 इन्दौर, दिनांक 18/03/17

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. प्रेषित कर अनुरोध है, कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं 04 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला .... (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) इंदौर की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. समस्त तहसीलदार तहसील .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
10. संयुक्त संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जन संपर्क कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
12. मद्य भाण्डागार अधिकारी इन्दौर/महू की ओर सूचनार्थ एवं सूटना पटल पर चस्पा करने हेतु।
13. कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इन्दौर, कक्ष क्रमांक 209, प्रशासनिक संकुल, इंदौर के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

सहायक आयुक्त आबकारी
वास्ते कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)